फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री जितेन्द्र सोनी, 113 अपेक्स मॉल, लालकोठी टोंकरोड, जयपुर **– अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 03/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 03.02.2020

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2020/51–52 दिनांक 20.01.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 19.11.2019 को सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को दिनांक 25.11.2019 व अनुभाग को 29.11.2019 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन में यह स्पष्ट नही किया गया है कि कौन से वर्ष की हाजरी रजिस्टर की प्रतियॉ चाही गई हैं जबकि उस संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय के समस्त हाजरी रजिस्टर स्थापना अनुभाग/रिकार्ड में जमा होने से वांछित सूचना तक पहुंच बनाया जाना संभव नहीं हैं। प्रार्थी स्पष्ट विशिष्टियॉ अंकित करें तो सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है। चाही गई सूचनाओं तक पहूॅच बनाया जाना संभव नही, सूचना को खोजना, प्रश्नो के उत्तर देना इस प्रकार की विस्तृत सूचना का सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 7 (9) के प्रावधानानुसार इसका वर्जन (अदेय हैं) किया गया हैं। इस आशय का पत्र प्रार्थी अपीलार्थी को इस कार्यालय द्वारा जरिये पत्रांक क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2019/922 दिनांक 19.12.2019 से जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित किया गया हैं।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार प्रस्तुत अपील में प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में कौन से वर्ष की हाजरी रजिस्टर की प्रतियॉ चाही गई का स्पष्ट उल्लेख नही किये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)